परियोजना का वन भूमि मे रखे जाने का औचित्य

बर्सिल एवं बमोली गांव के बीच में वन पंचायत भूमि पड़ती है। इस मार्ग के निर्माण हेतु नाप भूमि उपलब्ध नहीं है। इस कारण संरेखण को वन पंचायत भूमि में लिया जाना ही एकमात्र विकल्प है। वैकल्पिक संरेखण में भी अधिक वन पंचायत भूमि एवं अधिक पेड़ आ रहे हैं जिस कारण वैकल्पिक संरेखण में भी मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना सम्भव नहीं है।

बमोली गांव की कुल जनसंख्या 70 है, वास्तव में इस गांव की जनसंख्या इससे अधिक है, क्योंकि गांव मोटर मार्ग से संयोजित न होने के कारण अधिकांश ग्रामीण दूसरे निकट के छोटे कस्बे जैसे तिलवाडा, अगस्त्यमुनि में पलायन कर चुके हैं। यदि यह मार्ग नही बनता है तो बचे हुए लोग भी पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। गांव के अस्तित्व को बचाये रखने हेतु उक्त मोटर मार्ग का निर्माण आवश्यक है। साथ ही ग्रमीणों द्वारा बार–बार मोटर मार्ग निर्माण हेतु विभाग पर दबाव बनाया जा रहा है। अतः ग्रामीणों के हित में इस मार्ग का निर्माण किया जाना नितान्त आवश्यक है। यह भी सम्भवना है कि गांव को मोटर मार्ग से संयोजित होने पर पलायन कर चुके लोगों की वापस आने की प्रबल सम्भावना है एवं भविष्य में इस मार्ग का विस्तार होने पर यह ग्रामीणों के मुख्य बाजार तिलबाडा से सम्पर्क हो जायेगा।

अतः जनहित को दृष्टिगत रखते हुए परियोजना को वन पंचायत भूमि में प्रस्तावित किया गया है।

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0 रूद्रप्रयाग
रूद्रप्रयाग